झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

राँची
दिनांक :– 24-10-14

अधि॰सं॰–01/स्था॰/पद॰–11–12/14 8424 /जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के निम्नांकित अधीक्षण अभियंता (असैनिक) (चालू प्रभार) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–03 में अंकित वर्त्तमान पद एवं स्थान से स्थानान्तरित करते हुए उसी रूप में स्तम्भ–04 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम/आई॰डी॰/ गृह जिला/जन्म तिथि	वर्त्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन स्थान	अभियुक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री बासुकीनाथ सिंह 1945/सारण/09.01.55	अधीक्षण अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग	अधीक्षण अभियंता समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान अंचल–02, देवघर	ग्रा॰का॰वि॰ से सेवा वापस लेते हुए

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
हे॰कु॰भक्त
24-10-14
(हेमन्त कुमार भक्त)
सरकार के उप सचिव (प्र॰)।

ज्ञापांक :– 8424 राँची, दिनांक :– 24-10-14

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट प्रकाशन के पश्चात् इसकी 100 (सौ) प्रतियाँ कार्यालय अभिलेख हेतु विभाग को प्रेषित की जाय।

हे॰कु॰भक्त
24-10-14
(हेमन्त कुमार भक्त)
सरकार के उप सचिव (प्र॰)

ज्ञापांक :– 8424 राँची, दिनांक :– 24-10-14

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड राँची/ वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड राँची/ माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड राँची/ सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रधान सचिव, सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, झारखण्ड राँची/ सचिव, आवास विभाग, झारखण्ड राँची/ निदेशक, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, राँची/ प्रबन्ध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लि॰, राँची/ प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना, जमशेदपुर/ अभियंता प्रमुख–01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सभी मुख्य अभियंता/ प्रबन्ध निदेशक, झालको, राँची/ सभी संबंधित पदाधिकारी/ सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ वेब इन्फॉरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ब॰, 7यो॰, एवं 8ए॰, 8बी॰ एवं 14 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित पदाधिकारी अपने पूर्व पदस्थापित स्थान का प्रभार यथाशीघ्र सौंपकर नव पदस्थापित स्थान का प्रभार ग्रहण कर प्रभार प्रतिवेदन मुख्यालय को देंगें।

हे॰कु॰भक्त
24-10-14
(हेमन्त कुमार भक्त)
सरकार के उप सचिव (प्र॰)

D:\PRAMOD\NOTI-2014\OCT\S.E. Tm (Civil).docx